

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 891/2024

अनवान : -

1- कृष्णा पुत्री सुखमा पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

— वादीया

बनाम

- 1- सुखमा पत्नी रामचन्द्र माता बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
- 2- मंजू देवी पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 3- लिछमा पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 4- रोहिताष पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 5- अनिल कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 6- सुमित्रा पुत्री सुखमा पत्नी जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
- 7- दयावन्ती पुत्री सुखमा जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8- विमला पुत्री सुखमा जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 9- मैना पुत्री सुखमा जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 10- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 167/164 के कुल खसरे 69 की कुल तादादी 10.8800 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 83/87 के कुल खसरे 1 की 0.2530 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 का 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा किकंराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 6/6 के कुल खसरे 2 की 11.5080 है0 भूमि में से 569/2877 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि में वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि


अपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा वह अपनी बहिनो व मृतक भाई बेगराज के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 167/164 के कुल खसरे 69 की कुल तादादी 10.8800 है। भूमि में से प० नं० 387/430 (49) के किला नं. 16/2 के मिन दक्षिण की 0.151 है० व 16/1 के मिन दक्षिण की 0.011 है० गै० मु० रास्ता, 25 की 0.253 है० व प० नं० 388/430 (50) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.169 है०, 19 के मिन दक्षिण की 0.169 है०, 21 की 0.253 है०, 22 की 0.253 है० व प० नं० 387/431 (66) के किला नं. 5/1 की की 0.063 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.1900 है०, 6/2 की 0.139 है०, 6/3 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता व प० नं० 388/431 (65) के किला नं. 1/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.215 है०, 2/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.215 है०, 9/1 की 0.177 है०, 10/2 की 0.164 है० कुल तादादी 2.529 है० भूमि पर वादी काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब० हि० ब० काबिज है तथा रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 83/87 के कुल खसरे 1 की 0.2530 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब० हि० ब० काबिज है एवं रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 6/6 के कुल खसरे 2 की 11.5080 है० भूमि में से 569/2877 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के

अधिवक्ता
अधिवक्ता
नोहर

समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 12 एनटीआर खाता स0 167 व 83, रोही मौजा किंकराली खाता स0 6 दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 7 ता 9 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 167/164 के कुल खसरे 69 की कुल तादादी 10.8800 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 83/87 के कुल खसरे 1 की 0.2530 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 का 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 6/6 के कुल खसरे 2 की 11.5080 है0 भूमि में से 569/2877 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 7 ता 9 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 167/164 के कुल खसरे 69 की कुल तादादी 10.8800 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2

का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 387/430 (49) के किला नं. 16/2 के मिन दक्षिण की 0.151 है० व 16/1 के मिन दक्षिण की 0.017 है० गै० मु० रास्ता, 25 की 0.253 है० व प० नं० 388/430 (50) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.169 है०, 19 के मिन दक्षिण की 0.169 है०, 21 की 0.253 है०, 22 की 0.253 है० व प० नं० 387/431 (66) के किला नं. 5/1 की की 0.063 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.1900 है०, 6/2 की 0.139 है०, 6/3 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता व प० नं० 388/431 (65) के किला नं. 1/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.215 है०, 2/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.215 है०, 9/1 की 0.177 है०, 10/2 की 0.164 है० कुल तादादी 2.529 है० भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 83/87 के कुल खसरे 1 की 0.2530 है० भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 6/6 के कुल खसरे 2 की 11.5080 है० भूमि में से 569/2877 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 891/2024

अनवान : -

- 1- कृष्णा पुत्री सुखमा पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

— वादीया

बनाम


- 1- सुखमा पत्नी रामचन्द्र माता बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2- मंजू देवी पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3- लिछमा पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4- रोहिताष पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5- अनिल कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6- सुमित्रा पुत्री सुखमा पत्नी जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7- दयावन्ती पुत्री सुखमा जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8- विमला पुत्री सुखमा जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9- मैना पुत्री सुखमा जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 891 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 167/164 के कुल खसरे 69 की कुल तादादी 10.8800 है० भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 387/430 (49) के किला नं. 16/2 के मिन दक्षिण की 0.151 है० व 16/1 के मिन दक्षिण की 0.017 है० गै० मु० रास्ता, 25 की 0.253 है० व प० नं० 388/430 (50) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.169 है०, 19 के मिन दक्षिण की 0.169 है०, 21 की 0.253 है०, 22 की 0.253 है० व प० नं० 387/431 (66) के किला नं. 5/1 की की 0.063 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.1900 है०, 6/2 की 0.139 है०, 6/3 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता व प० नं० 388/431 (65) के किला नं. 1/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.215 है०, 2/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.215 है०, 9/1 की 0.177 है०, 10/2 की 0.164 है० कुल तादादी 2.529 है० भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 83/87 के कुल खसरे 1 की 0.2530 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 6/6 के कुल खसरे 2 की 11.5080 है0 भूमि में से 569/2877 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गंदवाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर